कार्यालय नगर परिषद मुंगावली जिला अशोकनगर (म.प्र.)

कमांक / राजस्व / 2026 / 528 अशोकनगर दिनांक :– 14/5/2026

।। दुकान नीलामी सूचना ई निविदा।।

एतद् द्वारा सर्वधारण / शहरवासियों को सूचित किया जाता है कि कोलुआ रोड स्थित नवीन दुकान को www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन पद्वति से नीलाम की जाना है इच्छुक व्यक्ति ई–निविदा के माध्यम से दुकान नीमामी निविदा में भाग ले सकता है। जिसका विवरण निम्नानुसार है

क	टेंडर कमांक	दुकान कमांक	अवस्थित दुकान	आरक्षित वर्ग	न्यूनतम राशि	अमानत राशि	निविदा फार्म
1	2026_UAD_ 507518_1	1	केन्द्रीय विधालय के पास प्रस्तावित नवीन बस स्टेण्ड के पास वाली दुकान	अनारक्षित	10.00 लाख	50000 / –	2000 / –
2	2026_UAD_ 507518_2	2	केन्द्रीय विधालय के पास प्रस्तावित नवीन बस स्टेण्ड के पास वाली दुकान	अनारक्षित	10.00 लाख	50000 / –	2000 / –
3	2026_UAD_ 507518_3	3	केन्द्रीय विधालय के पास प्रस्तावित नवीन बस स्टेण्ड के पास वाली दुकान	अनारक्षित	10.00 लाख	50000 / –	2000 / –
4	2026_UAD_507518_4	4	केन्द्रीय विधालय के पास प्रस्तावित नवीन बस स्टेण्ड के पास वाली दुकान	अनारक्षित	10.00 लाख	50000 / –	2000 / –
5	2026_UAD_507518_5	5	केन्द्रीय विधालय के पास प्रस्तावित नवीन बस स्टेण्ड के पास वाली दुकान	अनारक्षित	10.00 लाख	50000 / –	2000 / –
6	2026_UAD_ 507518_6	6	केन्द्रीय विधालय के पास प्रस्तावित नवीन बस स्टेण्ड के पास वाली दुकान	अनारक्षित	10.00 लाख	50000 / –	2000 / –
7	2026_UAD_507518_7	7	केन्द्रीय विधालय के पास प्रस्तावित नवीन बस स्टेण्ड के पास वाली दुकान	अनारक्षित	10.00 लाख	50000 / –	2000 / –
8	2026_UAD_507518_8	8	केन्द्रीय विधालय के पास प्रस्तावित नवीन बस स्टेण्ड के पास वाली दुकान	अनारक्षित	10.00 लाख	50000 / –	2000 / –
9	2026_UAD_507518_9	9	केन्द्रीय विधालय के पास प्रस्तावित नवीन बस स्टेण्ड के पास वाली दुकान	अनारक्षित महिला	10.00 लाख	50000 / –	2000 / –
10	2026_UAD_507518_10	10	केन्द्रीय विधालय के पास प्रस्तावित नवीन बस स्टेण्ड के पास वाली दुकान	अनुसूचित जाति	10.00 लाख	50000 / –	2000 / –
11	2026_UAD_ 507518_11	11	केन्द्रीय विधालय के पास प्रस्तावित नवीन बस स्टेण्ड के पास वाली दुकान	अन्य पिछडा वर्ग	10.00 लाख	50000 / –	2000 / –
12	2026_UAD_ 507518_12	12	केन्द्रीय विधालय के पास प्रस्तावित नवीन बस स्टेण्ड के पास वाली दुकान	अनुसूचित जनजाति	10.00 लाख	50000 / –	2000 / –
13	2026_UAD_ 507518_13	13	केन्द्रीय विधालय के पास प्रस्तावित नवीन बस स्टेण्ड के पास वाली दुकान	अनुसूचित जाति	10.00 लाख	50000 / –	2000 / –
14	2026_UAD_507518_14	14	केन्द्रीय विधालय के पास प्रस्तावित नवीन बस स्टेण्ड के पास वाली दुकान	अनुसूचित जाति	10.00 लाख	50000 / –	2000 / –

नोट : –

1. इच्छुक एवं पात्र निविदादाता विस्तृत निविदा एवं अन्य समस्त जानकारी https://www.mptenders.gov.in में विभाग का नाम :– नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पर देखी जा सकती है।
2. ऑनलाईन निविदा प्रपत्र दिनांक 15./05/2026 सुबह 10.30 .बजे से दिनांक 13/06/2026 समय सायं 5.30 बजे तक वेबसाईट पर ऑनलाईन भुगतान कर कय किये जा सकते है।
3. ऑनलाईन बिड दिनांक 18/05/2026 सुबह 10.30 बजे से दिनांक 13/06/2026 समय सायं 5.30 बजे तक जमा की जा सकती है।
4. ऑनलाईन निविदा दिनांक .15/06/2026 समय सुबह 11.00 .बजे खोली जावेगी।
5. निविदादाता को निविदा के साथ 200 रू शपथपत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड, वोटरकार्ड, आवेदन, पेन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. बोली में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति https://www.mptenders.gov.in पर पार्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर आई.डी. पासवर्ड एवं डिजीटल सिग्नेचर तैयार कराके निविदा में भाग ले सकता है।
7. बोली दाता अगर से https://www.mptenders.gov.in पर पार्टल पूर्व से पंजीकृत फर्मो / ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से निविदा में भाग लेना चाहता है तो स्वयं के नाम के 200 रू शपथपत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड, वोटरकार्ड, आवेदन, पेन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. निविदा को बिना किसी कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। शासन द्वारा, निकाय द्वारा समय समय पर जारी सभी आदेशों नियम का पालन करना होगा।
9. निविदा में किये जाने वाले संभावित संशोधन की सूचना समाचार पत्रो में प्रकाशित नहीं की जायेगी, केवल ऑनलाईन वेबसाईट पर देखे जा सकेंगें।
10. निविदा दुकानों की नीलामी की न्यूनतम राशि से कम पर स्वीकृत नहीं की जावेगी।

दुकान नीलामी की शर्ते

कार्यालय नगर परिषद मुंगावली जिला अशोकनगर (म.प्र.)

उक्तानुसार नगरपालिका स्वामित्व की विभिन्न स्थानों पर निर्मित/निर्माणधीन दुकानों की नीलामी की शर्तें निम्नानुसार है–

1. ऑनलाईन टेन्डर निविदा में भाग लेने के लिये न्यूनतम राशि के 2.5 डिपोजिट राशि ऑनलाईन जमा करनी अनिवार्य रहेगी।
2. प्रत्येक दुकान की पृथक–पृथक टेन्डर स्वीकार किये जावेंगे।
3. नगरपालिका द्वारा निर्धारित समयावधि में सम्पूर्ण प्रीमियम की राशि जमा न होने पर आवेदक की जमा प्रीमियम राशि नगरपालिका द्वारा राजसात कर पुनः नीलामी की कार्यवाही की जावेगी।
4. प्रत्येक दुकान के लिये राशि अलग–जमा करानी होगी निविदा समाप्त होने के पश्चात् निविदा में असफल या अस्वीकार होने की स्थिति में यह राशि वापसी योग्य होगी अन्यथा निविदा स्वीकार होने पर नीलामी की प्रीमियम राशि में शामिल मानी जावेगी।
5. निविदा अधिकतम राशि वाले निविदादाता की स्वीकार की जावेगी,परन्तु निविदा स्वीकार करने या न करने का अधिकार पूर्णतः सक्षम अधिकारी को होगा। बल्कि निर्णय चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
6. निविदा के समय अंतिम निविदादाता को तत्काल पश्चात् चौथाई राशि जमा करनी होगी शेष राशि निविदा स्वीकृति की सूचना के 15 दिवस अंदर जमा करना होगी। उक्त अवधि में राशि जमा न होने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
7. उक्त प्रीमियम की राशि पूर्णतः नगरपालिका की निधि होकर वापिसी योग्य नहीं होगी। दुकान यथा स्थल प्राप्त करना होगी बिजली आदि का फिटिंग कनेक्शन आदि प्राप्तकर्ता को करना होगा।
8. प्रत्येक दुकान सर्वप्रथम 35 माह के लिये किराये पर दी जावेगी। जो आगे की अवधि के लिये 25 प्रतिशत किराये की वृद्धि कर पुनरीक्षित कर दिये जाने योग्य होगी।
9. दुकान को हस्तांतरण करने के लिये हस्तांतरण शुल्क म0प्र0 नगरपालिका अचल सम्पत्ति अंतरण नियम 1966 के अनुसार होगा।
10. प्रत्येक स्थिति मिल्कियत पूर्णतः नगरपालिका सम्पत्ति रहेगी तथा किसी भी शर्त उल्लंघन करने पर एक माह का नोटिस देकर खाली कराने का अधिकार नगरपालिका को होगा।
11. निविदा स्वीकृत होने पर अधिपत्र लेने से पूर्व तीन माह का किराया जमा कर विधिवत अनुबंध करना होगा।
12. निविदा के शर्त अमान्य करने पर राशि अंदर अवधि में जमा नहीं करने पर जमा निविदा की राशि राजसात् हो जावेगी।
13. प्रत्येक माह की 5 तारीख तक किराया जमा करना होगा अन्यथा बिलम्ब की स्थिति में 5 प्रतिशत बिलम्ब शुल्क के साथ किराया जमा करना होगा। तीन माह का किराया जमा नही करने पर अवैध अधिपत्र मानी जावेगी एवं दुकान खाली करा ली जावेगी।
14. निविदा स्वीकृती उपरांत निविदादाता पर नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 109 एव नियम 2016 व संशोधन नियम 2021 के अनुरूप अचल सम्पत्ति अंतरण नियम 1963 के उपबंध पूर्ण लागू होगें।
15. यदि कोई दुकानदार स्वेच्छा से दुकान खाली कराना चाहे तो वह एक माह का नोटिस देकर समस्त माह का किराया भुगतान करते हुये दुकान खाली कर सकेगा किन्तु अधिकार अधिपत्री की राशि वापिसी योग्य नहीं होगी।
16. दुकान में किसी प्रकार की गंदगी या विस्फोटक धंधा नहीं किया जावेगा तथा किसी प्रकार की आपत्तिजनक धन्धे को भी तत्काल बन्द करना होगा।
17. दुकान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या तोड–फोड नगरपालिका की स्वीकृति के वगैर नहीं किया जावेगा।
18. नगरपालिका की स्वीकृति के बगैर दुकान का किसी अन्य को दिये जाने पर आधिपत्य अतिकमण मानते हुये अधिपत्र समाप्त कर दिया जावेगा।
19. दुकान के सामने किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जावेगा।
20. बोलीदाता पर नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग मंत्रालय बल्लभव भवन भोपाल के राजपत्र कमांक 08 एफ 1–01–2016 अठारह–3 एवं कमांक 222 दिनांक 04 मई 2021 लागू होगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद मुंगावली

अशोकनगर दिनांक :– 14/5/ 2026

पृ. कमांक/ राजस्व /2026 / 529
प्रतिलिपि :–

1. कार्यालय कलेक्टर/ कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि./ कार्यालय नगर परिष मुंगावली की ओर सूचना पटल पर विज्ञप्ति चस्पा करने हेतु ।
2. एक प्रति सम्पादक दैनिक समाचार पत्र .... के आगामी अंक में संलग्न प्रारूप पर कम से कम स्पेश में राज्य स्तरीय अखबार में फिक्स.................................राशि में प्रकाशित कराकर बिल के साथ समाचार पत्र की दो प्रतियों में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद मुंगावली

Signature Not Verified
Digitally signed by VINAY KUMAR BHATT
Date: 2026.05.14 14:24:45 IST
Location: Madhya Pradesh-MP